न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 201/2017

1. जसकरण सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह, जाति रामगढ़िया, आयु 36 वर्ष, निवासी चक 2–ए बडा, कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. संतोष रानी पुत्री श्री सरदार सिह, जाति अरोडा, निवासी चक 2 ए बडा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता – – अप्रार्थी–1
3. पैरोकार राज. – – अप्रार्थी–2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–19.01.2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 2 ए बडा तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/30 के मुरब्बा नम्बर 16 में 3.162 हैक्टेयर, मुरब्बा म्बर 23 में 0.519 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 30 में 2.505 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 34 में 0.759 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 46 में हैक्टेयर रकबा दर्ज जमाबंदी है। पारिवारिक सहमति बंटवारा के अनुसार प्रार्थी के नाम दिनांक 01.06.2012 को इन्तकाल संख्या 517 के द्वारा चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8, 9, 10, 16, 25 की कुल 1.265 हैक्टेयर रकबा नहरी व 0.519 हैक्टेयर बारानी, कुल 1.784 हैक्टेयर में से गैर–मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर दर्ज जमाबंदी है।

प्रार्थी के रकबा चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 16 सालम व 25 सालम को पिछले 20–25 वर्षों से रास्ता चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 10, 11 के पश्चिम दिशा में स्वीकृत रास्ता से होता हुआ अप्रार्थी संख्या के रकबा चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 20, 19, 18, 17 के कोना से होता हुआ किला नम्बर 16 में आता है जिस रास्ता में से किला नम्बर 1, 10, 11 के रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकृत करवा लिया गया है। शेष रास्ता अभी स्वीकृत करवाना बाकी है। चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 10, 11 तक रास्ता स्वीकृत हो चुका है। इससे आगे चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 30, 19, 18, 17 के उत्तर दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता जिस तरह से मौका पर चल रहा है, उसी अनुसार प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। मौका पर जहां रास्ता चाहा गया है, उकसे साथ लगते रकबा किला नम्बर 11 के रास्ता के रकबा को छोड कर किला नम्बर 12, 13, 14, 15 में सफेदा व शीशम के पेड लगे हुए हैं व बाडबंदी इस रकबा के काश्तकार द्वारा कर रखी है।

चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 20, 19, 18 व किला नम्बर 17, 15 बिस्वा तक उक्त किलाजात के उत्तर दिशा में रास्ता चल रहा है व किला नम्बर 17 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अन्तिम उत्तर–पूर्वी छोर पर एक कमरा बना कर ट्यूबवैल लगा रखा है। इसलिए उक्त रकबा को छोड कर छोडे गये रकबा की दक्षिण दिशा में 2–2 बिस्वा तिरछा रास्ता कमरा व ट्यूबवैल के साथ साथ प्रार्थी के रकबा किला नम्बर 16 तक स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता का नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया है कि वह मौका पर चालू रास्ता के अनुसार उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत करवा देवे, किन्तु बार बार कहने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आना कानी की जाती रही है। अन्तिम बार दिनांक 29.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 को इस बारे में कहा गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि वह तो उसके रकबा में चालू रास्ता को हल चला कर खत्म कर देगी। यही वजह है कि प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नये प्रावधानों के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है और उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को किसी भी रास्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रास्ता दिये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की काई असुविधा नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उक्त रास्ता का मुआवजा राशि देने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 20, 19, 18 व किला नम्बर 17 में 15 बिस्वा तक उक्त किलाजात के उत्तर दिशा में रास्ता चल रहा है, में 2–2 बिस्वा व किला नम्बर 17 के अन्तिम उत्तर–पूर्वी छोर पर कमरा बना कर ट्यूबैल लगा रखा है, उक्त ट्यूबैल व कमरा के साथ साथ चिपता हुआ तिरछा 2–2 बिस्वा रास्ता प्रार्थी के रकबा किला नम्बर 16 तक स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 25.07.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी व उसके पिता का रकबा चक 2 ए बडा के खाता संख्या 387/30, मु0नं0 30 आदि में स्थित है मगर प्रार्थी को किसी रास्ता की आवश्यकता नहीं है तथा मद हाजा में किये गये कथन गलत दर्ज करवाये हुए हैं। मु.नं. 30 के किला नं. 1, 10, 5, 6 के बीच किला लाइन पर पक्की सडक गांव कोठा से गांव खंखा को जा रही है। इस प्रकार जब पक्की सडक प्रार्थी जसकरण सिंह व उसके पिता नक्षत्र सिंह की भूमि मु.नं. 30 में से निकली हुई है तो उनको किसी प्रकार से रास्ता की कानूनन कोई आवश्यकता ही नहीं हो सकती। जसकरण सिंह व उसके पिता ने मु.नं. 30 के साथ चिपते मु.नं. 29 में पूर्वी हिस्सा में मु.नं. 30 के किला नं. 16 व 25 के साथ लगती भूमि में ढाणी बना रखी है। इस प्रकार वह ढाणी से सीधे ही मु.नं. 30 में किला नं. 16 व 25 में प्रवेश कर जाते हैं, अतः उनको मु.नं. 30 के किला नं. 20, 19, 18, 17 की मन अप्रार्थीया की भूमि में से किसी रास्ता की ना तो आवश्यकता है तथा ना ही किला नं. 20, 19, 18, 17 के किसी रास्ता से वह आवागमन करते हैं बल्कि मन अप्रार्थीया ने मु.नं. 30 के किला नं. 17 में टयूबवेल लगा रखा है तथा इस टयूबवेल के लिए मु.नं. 30 के किला नं. 20, 19, 18, 17 में आवागमन करती है। इस प्रकार टयूबवेल में आने जाने के लिए आवागमन करने से मु.नं. 30 के किला नं. 20, 19, 18, 17 को कोई प्रचलित रास्ता आम नहीं कहा जा सकता तथा ना ही प्रार्थी को किसी रास्ता की आवश्यकता है। धारा 251 (क) आर टी एक्ट के प्रावधानों के जब किसी भूमि मालिक की भूमि के लिए कोई रास्ता ना हो तभी वह रास्ता स्वीकृति की मांग कर सकता है क्योंकि प्रार्थी व उसके पिता को मु.नं. 29 में स्थित ढाणी से मु.नं. 30 के किला नं. 16, 25 में आने जाने में कोई कठिनाई ही नहीं है तथा ना ही किसी रास्ता की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। पक्की सडक भी प्रार्थी व उसके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पिता की भूमि में से ही निकली हुई है। इसलिए भी किसी अन्य रास्ता की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थीया ने अपने टयूबवेल मु.नं. 30 के किला नं. 17 की देखभाल के लिए मु.नं. 30 के किला नं. 20, 19, 18, 17 में जो आवागमन कर रही है वह उसके स्वयं का रकबा है तथा इसमें से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। मु.नं. 30 के किला नं. 6 ता 10 व 5 ता 1 के बीच में पक्की सडक बनी हुई है तथा किला नं. 8 में स्कूल बना हुआ है इस प्रकार पक्की सडक प्रार्थी तथा उसके पिता के खेत में होने से किसी नये रास्ता की आवश्यकता नहीं रहती। प्रार्थी व उसके पिता की भूमि को रास्ता मौजूद है तथा मु0नं0 29 के साथ लगती हुई है में आने जाने में कोई बाधा नहीं है तो नये रास्ता की आवश्यकता नहीं रहती, अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष कतई स्वीकार नहीं है वरना अप्रार्थीया के टयूबवेल को भारी क्षतिकारित होगी तथा वह अपने टयूबवेल के उपयोग से वंचित होगी, प्रार्थी व उसके पिता की भूमि को पहले से ही रास्ता मौजूद है मौका देखा जा सकता है। अतः प्रार्थी की मांग गलत होने से स्वीकार नहीं हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया, अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। स्टेट का जवाब प्राप्त हुआ।

दिनांक 19.01.2018 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे निवेदन किया गया कि चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1, 10, 11 में रास्ता स्वीकृत है और प्रार्थी द्वारा किला नम्बर 20, 19, 18, 17 में 2–2 बिस्वा रास्ता की मांग किला नम्बर 16 व 25 का रास्ता के लिये की गई है। अगर उक्त रास्ता के स्थान पर चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8, 13 में 1–1 बिस्वा पूर्व दिशा में व उसके आगे किला नम्बर 17 में उत्तर दिशा में 2–2 बिस्वा किला नम्बर 17 तक के पूर्व दिशा में ट्यूबेल की जगह को छोड कर किला नम्बर 16 तक स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं होगा। क्योंकि प्रार्थी व उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम से उक्त रकबा के किला नम्बर 3 में स्कूल तक इसी जगह पर रास्ता स्वीकृत है। उससे आगे रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की रास्ता की सुविधा हल हो जावेगी। जब उक्त रास्ता स्वीकृत हो जाता है तो अप्रार्थी संतोश रानी द्वारा पूर्व में स्वीकृत करवाये गये रास्ता चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 10, 11 में स्वीकृत रास्ताका कोई औचित्य नहीं रह जाता जिसे निरस्त किया जावे।

–:: आदेश ::–

बहस उभ्यपक्ष सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर चक 2 ए बडा के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8, 13 में 1–1 बिस्वा पूर्व दिशा में व उसके आगे किला नम्बर 17 में उत्तर दिशा में 2–2 बिस्वा किला नम्बर 17 तक के पूर्व दिशा में टयूबेल की जगह को छोड कर किला नम्बर 16 तक स्वीकृत किया जाता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)